न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या 05/2023
जीसीएमएस नम्बर 2023/593

<u>प्रार्थी</u>

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

मगाराम प्रजापत पुत्र पेमाराम प्रजापत, फर्म मैसर्स मगराज मसाला, कुम्हारों की ढाणी, वा0पो0 चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर निवासी कुम्हारों की ढाणी, चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

<u>उपस्थिति</u>
अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।

—:<u>आदेश</u> :— दिनांक :— 28.08.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.10.2021 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स मगराज मसाला, कुम्हारों की ढाणी, वा0पो0 चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय दुकान पर विक्रेता व मालिक की हैसियत से श्री मगराज प्रजापत पुत्र श्री पेमाराम प्रजापत उपस्थित मिले तथा आम जनता को मिर्च, धनिया एवं हल्दी पाउडर आदि का निर्माण वास्ते विक्रय कर रहे थे। उक्त विक्रेता/मालिक से वर्ष 2021 का खाद्य अनुज्ञा—पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसआई अनु0 1221032000314 पेश किया। निर्माण परिसर का निरीक्षण करने पर 50 किलोग्राम के 5 बैग्स में हल्दी पाउडर आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिए गवाह श्री मदाराम प्रजापत पुत्र श्री भगदाराम एवं मेरे साथ गये श्री भैंराराम प्रजापत, सहा0 कर्म0, कार्या0 मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी, जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया गया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ । प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:38:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रति सलंग्न है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 240/– नगद देकर हल्दी पाउडर 2 किलोग्राम वास्ते जांच नमूनीकरण हेतु एक साफ सुखे खाली नये पॉलीथीन बैग में खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त हल्दी पाउडर को हिला मिलाकर एक रूप कर चार प्लास्टिक के नये खाली साफ सुथरे जारो मे बराबर–बराबर मात्रा (500–500 ग्राम) में डालकर प्रत्येक बोटल को एयर टाईट बन्द कर इन भागों हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–2659 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–2659 हस्ताक्षर युक्त डॉ. बलवन्त मण्डा, अभिहित अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–2659 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमुना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर [illegible]सार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो [illegible] एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर [illegible] विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:38:16 IST
Reason: SelfAttested

किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 19.10.2021 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–2659 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 18.10.2021 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 18.10.2021 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 486–487 दिनांक 25.10.2021 के साथ संलग्न खाद्य मूल रिपोर्ट एल. एस. / 645 / एक्ट / 2021 / 743 दिनांक 25.10.2021 मुझे प्राप्त हुई। उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी का Colouring powder expressed as curcuminoid content on dry basis Minimum 2% की जगह 1.8% होने पर अमानक स्तर (Sub-Standard) का होना पाया गया। एफ0 एस0 एस0 एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 28.08.2024 को रखी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर का नमूना अमानक स्तर अमानक स्तर (Sub-Standard/Does not conform) का होना पाया गया। एफ0 एस0 एस0 एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघंन किया जाना मानते हुए एफ0 एस0 एस0 एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होना मानते हुए उक्त नोटिस अप्रार्थी को जारी किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा एस एस एक्ट की धारा 42 की पालना नहीं की गयी हैं। इसक कारण उक्त प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व कतई चलने योग्य नहीं होने से काबिले निरस्त होने से निरस्त फरमाया जावे। Public Health Laboratory Jodhpur द्वारा जारी Report of the Food Analyst no. 743 Date 25.10.2021 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार हल्दी पाउडर में नियमानुसार Colouring powder expressed as curcuminoid content on dry basis, Not less than 2.0% by Weight को [illegible] 1.8 प्रतिशत के रूप में पाया गया है, जो स्टेण्डर्ड से नाम मात्र का अन्तर है। अप्रार्थी द्वारा न ही विधिनुसार प्रक्रिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:38:16 IST
Reason: SelfAttested

को अपनाया गया है तथा जांच रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं की गयी हैं। बहस के अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मगराज मसाला, कुम्हारों की ढाणी, वा0पो0 चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु हल्दी का नमूना लिया गया जो जांच रिपोर्ट में निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन होने के कारण धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थी मगाराम प्रजापत पुत्र पेमाराम प्रजापत पर शास्ती रूपये 10,000 / – अक्षरे दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

क्रमांकः कोर्ट / एडीएम / जोधपुर(ग्रामीण) / 2024 /   दिनांक :–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. मगाराम प्रजापत पुत्र पेमाराम प्रजापत, फर्म मैसर्स मगराज मसाला, कुम्हारों की ढाणी, वा0पो0 चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर निवासी कुम्हारों की ढाणी, चण्डालिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:38:16 IST
Reason: SelfAttested

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)